11/23

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी दोनों अनुपस्थित। न्यायालय समय में एक एक कर तीन मरतबा आवाज पुकारवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी व वादी पूर्व आदेशों के अनुसार अनुपस्थित रहे हैं। अतः वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पक्षा० मसल मुमार होकर वाद तामील व कायम दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़